राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

~~गंगासहाय बनाम ओमप्रकाश~~

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	60/2025	
19/12/2025	पत्रावली प्रस्तुत हुई। अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। अधिवक्ता उभयपक्ष की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी। पत्रावली वास्ते निर्णय हेतु दिनांक 31/12/2025 को पेश हो।	
31/12/2025	आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। संक्षेप में तथ्य प्रकरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद मय प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 12/02/2025 पारित करते हुये अप्रार्थीगण/रेस्पो. को अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया गया तत्पश्चात अप्रार्थीगण/रेस्पो. ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 39 नियम 04 सपठित धारा 151 सीपीसी का पेश किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दोनों पक्षों की बहस समायत कर अपीलाधीन आदेश दिनांक 30/04/2025 पारित करते हुये विवादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 868/430 अन्तर्गत निर्मित मकान की फिनिशिंग व गटर-बाथरूम व पशुओ के लिए बाड़े आदि व उनके पीने की पानी की व्यवस्था हेतु अस्थाई रूप से अनुमति प्रदान किये जाने के आदेश प्रदान किये गये। जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा इस न्यायालय के समक्ष अपीलाधीन आदेश दिनांक 30/04/2025 के विरुद्ध यह अपील प्रस्तुत की गयी। जिस पर अधिवक्ता उभयपक्ष की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी। अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर गौर किया गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। उद्धरित तथ्यों के परिपेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का मय अपीलाधीन आदेश अवलोकन किये जाने से यह ज़ाहिर होता है कि अपीलाधीन आदेश के माध्यम से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रदान की गयी छुट/अनुमति काश्तकार/खातेदार के लिये अनिवार्य सुखाचार की श्रेणी की है जिससे किसी भी काश्तकार को वंचित रखा जाना न्यायोचित्त प्रतीत नही होता है एवं अपीलार्थी द्वारा ऐसा कोई ठोस साक्ष्य/आधार जाहिर नही किया गया है जिससे की अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश के माध्यम से प्रदान की गयी अनुमति से उन्हें कोई अपूर्तनीय क्षति कारित होती हो। अत: ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 30/04/2025 विधिसम्मत एवं न्यायोचित्त प्रतीत होने से यथावत रखा जाकर अपील अपीलार्थी ख़ारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 31/12/2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।	

राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर